न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2189–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 597/अपील/2009–10.

अरविन्द कुमार साहू आत्मज श्री रामकिशन साहू
निवासी कस्बा बरेली जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– रमाकान्त शर्मा आत्मज श्री कृष्णमुरारी
2– शिवकान्त शर्मा आत्मज श्री कृष्णमुरारी
निवासीगण श्री जी मन्दिर के पास बरेली
जिला रायसेन ..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ.पी. दुबे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/11 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बरेली के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कस्बा बरेली स्थित सर्वे कमांक 411/2/3 रकबा 4–00 हेक्टेयर है । उनके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें 0.50 एकड़ भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है, अतः तत्काल कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–70/2005–06 दर्ज किया जाकर दिनांक 9–2–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण को वापिस दिलाये जाने के

आदेश पारित किये गये । यह भी निर्देश दिये गये कि यदि अनावेदक कब्जा वापिस नहीं करता है तब संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–7–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–9–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–8–2015 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था कि अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये । आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके पर नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक सीमांकन के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । सीमांकन की कार्यवाही में पड़ौसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । इस आधार पर भी सीमांकन की कार्यवाही अवैध थी, अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में न तो मूल दस्तावेज पेश किये गये हैं और न ही दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं, अतः मूल दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में अनावेदकगण का आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर विचार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उन्हें कब और कैसे बेकब्जा किया गया है ।

(4) तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–12–2008 को तर्क सुने जाकर दिनांक 9–2–2010 को आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, अतः ऐसा आदेश खुले न्यायालय में बोलते हुए आदेश की परिधि में नहीं आता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आवेदक सहित पड़ौसी कृषकों को सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें अनावेदकगण की 0.50 एकड़ भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसे आवेदक द्वारा चुनौती दिया जाना चाहिए था । संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(3) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस प्रकरण में नहीं है ।

5/ उपय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाकर अंतिम आदेश पारित किया गया है । आवेदक की ओर से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित किया गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, जबकि आवेदक का यह दायित्व था कि यदि उनके मत में सीमांकन त्रुटिपूर्ण हुआ था, तब उसे वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दिया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती

निष्कर्ष विधिसंगत हैं कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर